"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2010—भाद्र 12, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक 4637/6583/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 432-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 427 की उपधारा (24) के अधीन राज्य में नगरपालिक निगमों द्वारा नगरपालिक बाजार के प्रबंधन को विनियोजित करने हेतु, जहां तक इसका संबंध नगरीय स्ट्रीट वेन्डरों और फेरीवालों से है, निम्नलिखित आदर्श उपविधियां बनाती है, अर्थात् :—

आदर्श उपविधियां
(छत्तीसगढ़ में नगरपालिक निगम द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु)

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.—**

(1) ये उपविधियां नगरीय स्ट्रीट वेन्डर एवं फेरीवाला (पंजीयन एवं विनियम) उपविधियां, 2010 कहलाएगी.

(2) ये उपविधियां छत्तीसगढ़ में (नगर का नाम ....) के नगरपालिक निगम के प्रशासनिक अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू होंगी.

(3) ये उपविधियां सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने के पश्चात् अधिनियम की धारा 432-ए की उपधारा (2) और/या धारा 432 की उपधारा (3) के अंतर्गत निगम द्वारा उनके अंगीकृत किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी.

2. **परिभाषायें.**— इन उपविधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956);

(2) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगम में इस रूप में नियुक्त अधिकारी;

(3) "निगम क्षेत्र" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम के प्रशासनिक अधिकारिता के भीतर आने वाला क्षेत्र;

(4) "अवैध वेन्डिंग (विक्रय) को प्रोत्साहन" से अभिप्रेत है, इन उपविधियों के प्रावधानों के विपरीत, सड़कों या अन्यत्र कहीं भी निश्चित या निहित वेन्डिंग को प्रोत्साहित करना या इन उपविधियों के प्राबधानों के अनुसरण में आयुक्त और/या अधीक्षक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने में या कर्तव्य के निर्वहन में हस्तक्षेप करना या बाधा डालना;

(5) "संभावित आय" से निर्दिष्ट है, किसी भी वेन्डिंग स्थान में अर्जन के लिए वेन्डिंग के माध्यम से संभावित आय, जो नगरीय वेन्डिंग समिति अथवा इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा नियुक्त किसी एजेंसी द्वारा, उस क्षेत्र की मूल स्थिति, वहां निवासरत खरीददारों की सामान्य आर्थिक स्थिति तथा अन्य किसी भी स्थानीय कारक जो कि उस स्थान को वेन्डिंग के लिये व्यावसायिक महत्व के बनाते हो, के आधार पर अनुमानित की गई हो;

(6) "फेरीवाला" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो सामान का विक्रय या सेवायें, फेरी लगाकर देता है;

(7) "फेरी" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति द्वारा सामान बेचने या सेवायें देने की क्रिया, चाहे वह सामान को सिर पर रखकर या किसी वाहन में या हाथ ठेले पर ढोता हो और ऐसा व्यक्ति जो घूमता रहता हो तथा किसी परम्परागत स्थान में नहीं ठहरता हो या किसी बाजार के स्थान (मार्केट प्लेस) के बाहर रहता हो;

(8) "अवैध वेन्डिंग" से अभिप्रेत है इन उपविधियों के प्रावधानों के वितरीत किसी सड़क या अन्यत्र कहीं वेन्डिंग करना;

(9) "प्राकृतिक बाजार" से अभिप्रेत है, ऐसा बाजार, जिसमें हाट बाजार भी सम्मिलित है, जहां क्रेता एवं विक्रेता पारंपरिक तौर पर नगरीय वेन्डिंग समिति द्वारा निर्धारित अनुसार विनिर्दिष्ट कालावधि से अधिक के लिये, उत्पादों या सेवाओं के क्रय तथा विक्रय के लिये एकत्रित होते हैं;

(10) "स्ट्रीट वेन्डर" से अभिप्रेत है,ऐसा व्यक्ति जो इन उपविधियों के अधीन इस रूप में पंजीकृत हो एवं निगम क्षेत्र में विनिर्दिष्ट क्षेत्र (जोन) में निर्धारित तरीके से व्यापार करने हेतु सशक्त हो. "अवैध वेन्डर" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति या एजेंसी जो इन उपविधियों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के विपरीत वेन्डिंग में लिप्त हो;

(11) "अधीक्षक" से अभिप्रेत है, इन उपविधियों की उपविधि 7 के अन्तर्गत इस रूप में नियुक्त अधिकारी;

(12) "नगरीय वेन्डिंग समिति" से अभिप्रेत है, इन उपविधियों की उपविधि 5 के अंतर्गत आयुक्त की अध्यक्षता के अधीन गठित समिति;

(13) "वेन्डिंग" से अभिप्रेत है, किसी गुमटी अथवा चलित वाहन या ठेला या टोकरी या किसी कंटेनर से, जो कि किसी सार्वजनिक स्थल पर आश्रित हो, परम्परागत तौर पर पड़ाव डालकर या उस स्थान में ठहर कर, पूरे कार्य दिवसों या दिवस के कुछ समय के लिए कार्य करते हुए वस्तुओं का विक्रय एवं सेवायें देना;

स्पष्टीकरण : (1) महिलाओं द्वारा अपने सिर पर टोकरियों को रखकर और गलियों में फेरी लगाकर या पुरुषों द्वारा सायकल पर या सामान्यत: सिर पर रखकर घूमते-फिरते हुए और किसी एक स्थान पर स्थिर रहे बिना सब्जियों, फल एवं मछली या कोई अन्य सामग्री का विक्रय, इन उपविधियों के प्रावधानों से मुक्त होंगे.

स्पष्टीकरण : (2) महिला या पुरुष द्वारा सड़क पर या फुटपाथ पर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर चटाई, कॉलीन या किसी अन्य तरीके से अपनी सामग्री रखकर या टोकरी (बास्केट) या कन्टेनर रखकर सब्जियों, फलों, मछली या अन्य सामग्री का विक्रय वेन्डिंग समझा जायेगा.

स्पष्टीकरण : (3) वेन्डिंग, दुकानदारी से इस रूप में भिन्न है कि वेन्डर (विक्रेता), व्यवसाय समय के पश्चात् अपनी सामग्री एवं वाहन (साधन) को व्यापार के स्थान से हटाकर, उस स्थान को खाली कर देता है.

(14) "वेन्डिंग स्थान" से अभिप्रेत है, ऐसा सार्वजनिक स्थान जो कि एक विनिर्दिष्ट संख्या के वेन्डरों द्वारा, या तो पूरे कार्य दिवस के लिए, या दिवस के कुछ समयों के लिए, या तो पूरे सप्ताह के लिये या सप्ताह के कुछ विनिर्दिष्ट दिवसों और समयों के लिए, उपयोग करने हेतु नगरीय वेन्डिंग समिति द्वारा उपयुक्त समझते हुए चिन्हांकित किया गया हो;

(15) "वार्ड वेन्डिंग समिति" से अभिप्रेत है, उपविधि 6 के अंतर्गत, वार्ड में स्ट्रीट वेन्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु यथोचित निर्बंधन अधिरोपित किये जाने के दौरान, यदि आवश्यक हो, तो यातायात प्रवाह की सुगमता सुनिश्चित करने के लिये तथा लोक हित में लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में ध्यान रखने के लिए वार्ड मेम्बर की अध्यक्षता में गठित एक समिति.

3. **व्यापार का विनियमन.—**

(1) इन उपविधियों के प्रवृत्त होने की तारीख से इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के विपरीत निगम क्षेत्र में की गयी वेन्डिंग अवैधानिक होगी तथा समस्त संबंधित उपकरण एवं सामग्री सूचना दिये बिना तथा इन उपविधियों और/या अधिनियम और/या अन्य किसी विधि जो कि लागू हो, के अधीन अन्य जुर्माने तथा दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हटाये जाने या जप्त किये जाने के दायित्वाधीन होंगे.

(1) (क) इन उपविधियों के प्रवृत्त होने के पश्चात् आयुक्त, वैध या अवैध रूप से कार्यरत स्ट्रीट वेन्डरों को इनमें अंतर्विष्ट प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु पैंतालिस दिवस की आरंभिक अनुग्रह अवधि (समय) प्रदान करेगा.

(ख) उपरोक्त उपविधियों के प्रवृत्त होने पर आयुक्त, सामान्य जानकारी के लिये दो ऐसे दैनिक समाचार पत्रों जो विज्ञापन के प्रयोजन के लिये शासन की अनुमोदित सूची में है और जो निगम क्षेत्र में प्रचलित हो, में दो दिवस तक सूचना प्रकाशित करा सकेगा और एक प्रति नगरपालिक निगम आयुक्त के कार्यालय के प्रमुख स्थान पर चस्पा करा सकेगा एवं इस संबंध में लाउड स्पीकर द्वारा निगम क्षेत्र में इसकी उद्घोषणा करा सकेगा.

(ग) आयुक्त द्वारा स्ट्रीट वेन्डरों का पंजीयन उनके कार्यस्थल पर कराया जा सकेगा ताकि उनको यथासंभव सीमा तक अनावश्यक कठिनाई न हो.

(घ) उपखण्ड (1) (ख) एवं (ग) में अनुशंसित कार्यवाही के संबंध में आयुक्त की ओर से कोई कमी इन उपविधियों के प्रावधानों के अनुपालन में असफल होने का किसी भी वेन्डर अथवा व्यक्ति को कारण प्रदान नहीं करेगा.

(2) इन उपविधियों के विपरीत वेन्डिंग का व्यवसाय, अधिनियम के अतर्गत अपराध माना जायेगा तथा अधिनियम की को धारा 440 के अंतर्गत तद्नुसार दण्डनीय होगा.

(3) उपखण्ड (2) के अधीन दण्ड, किसी अन्य दण्ड/जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जो कि अधिनियम और/या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित किया जा सकता हो.

4. **अपवाद.—**

(1) भारतीय रेल और उसके सहयोगियों जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित है जहां भारतीय रेल का अंशदान हो, के स्वामित्व की भूमि, परिसर एवं रेलगाड़ियों में वेन्डिंग, इन उपविधियों की परिधि से मुक्त होगी.

(2) जहां तक धारा 12 के अधीन प्रावधान उनसे संबंधित है, को छोड़कर फेरी एवं फेरीवाले, इन उपविधियों की परिधि से मुक्त होंगे.

(3) प्राकृतिक बाजार इन उपविधियों की परिधि से मुक्त होंगे.

परन्तु तथापि निगम सदैव प्रयास करेगा कि प्राकृतिक बाजारों में अधोसंरचना सुधारी जाये तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई की स्थिति को सुदृढ़ किया जाये.

(4) त्यौहारों के समय वेन्डिंग, जिसमें दीवाली के समय पटाखे बेचना सम्मिलित है जिसके लिये निगम द्वारा विशेष प्रबंध किये जाते हैं इन उपविधियों की परिधि से मुक्त होंगे.

(5) प्रदर्शनियाँ एवं मेले जो कि निगम और/या शासन की सहमति से और/या विशेष अनुमति से आयोजित किये जाये, इन उप-विधियों की परिधि से मुक्त रहेंगे.

5. **नगरीय वेन्डिंग समिति (टी.वी.सी.) का गठन.—**

(1) इन उपविधियों के प्रवृत्त होने की तारीख से एक माह के भीतर आयुक्त, शहर में स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका की सुरक्षा के लिए, उस दौरान युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करते हुए जहां भी आवश्यक हो यातायात का प्रवाह सुगम बनाने के लिए तथा लोकहित में लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई से संबंधित तथा शहरी सौन्दर्य के सामान्य सुधार के लिए तथा परेशानी मुक्त व्यवसाय एवं ग्राहक हितैषी (कस्टमर फ्रेण्डली) वेन्डिंग करने हेतु एक समिति का गठन करेगा जो नगरीय वेन्डिंग समिति (टी.वी.सी.) कहलाएगी.

(2) नगरीय वेन्डिंग समिति मुख्यत: एक सलाहकार निकाय होगी.

(3) उपरोक्त उप-खण्ड (2) में कुछ भी कथित होते हुए भी, नगरीय वेन्डिंग समिति (टी.वी.सी.) निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(क) अधीक्षक द्वारा चिन्हांकित और/या वार्ड वेन्डिंग समिति द्वारा अनुशंसित वेन्डिंग स्थान को परिवर्तन सहित या के बिना अनुमोदित करना.

(ख) "नौ वेंडिंग स्पेस" "प्रतिबंधित वेन्डिंग स्पेस" या "नियमित वेन्डिंग स्पेस" के रूप में वेन्डिंग (विक्रय) स्थान वर्गीकृत एवं निर्दिष्ट करना.

स्पष्टीकरण :— जो स्थान "नो वेंडिंग स्पेस" "प्रतिबंधित वेंडिंग स्पेस" या "नियमित वेन्डिंग स्पेस" के रूप में निर्दिष्ट है, वह बदलते समय और समय की आवश्यकता के अनुसार अपरिवर्तनशील नहीं होंगे.

(ग) बदलते समय एवं नगर की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त (ख) में वेंडिंग स्थान का निर्दिष्टीकरण, समय-समय पर पुनर्विलोकित तथा संशोधित, परिवर्धित या परिवर्तित करना.

(घ) व्यवसाय की आर्थिक व्यवहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक प्रतिबंधित एवं नियमित वेन्डिंग स्थान के लिए स्ट्रीट वेंडरों की अधिकत्तम संख्या निर्धारित करना.

(ङ) लोक हित में एवं यातातयात के सुगम एवं सुरक्षित संचालन हेतु निश्चित स्थानों एवं निश्चित समयों के लिए फेरीवालों को प्रतिबंधित करना.

(च) समस्त वाहनों जिसमें वेंडरों, दुकानदारों एवं अन्य से संबंधित सायकलें सम्मिलित हैं तथा वेडिंग सेफ जोन, भीड़भाड़ रहित तथा परेशानी मुक्त खरीददारी करने हेतु वेन्डिंग स्थान के चारों ओर प्रवेश तथा यातायात वर्जित करना.

(छ) निगम क्षेत्र में प्राकृतिक बाजारों को निर्दिष्ट करना.

(ज) वेंडरों एवं फेरीवालों को ऋण, मानसिक विकास, आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा क्षमता विकास जैसी सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करना.

(झ) वेन्डर बाजार एवं स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जैसे आयोजनों के माध्यम से वेंडरों के हितों की अभिवृद्धि करना.

(ञ) वेन्डिंग स्थान एवं क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सफाई संबंधी मापदंड निर्धारित करना.

(ट) जहां आवश्यक हो, स्वविनियमन के माध्यम से वेन्डिंग स्थान में सामूहिक सशक्तिकरण तथा सेवाओं में सुधार हेतु स्ट्रीट वेंडरों को संघों/सहकारी संस्थाओं/स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित होने हेतु प्रोत्साहित करना.

(ठ) वेन्डिंग व्यापार में बाल श्रम को रोकना एवं जो बच्चे इसमें लिप्त पाये जाते हैं उनके पुनर्वास हेतु व्यवस्था करना.

(ड) अपराध को परिभाषित करना तथा प्रत्येक अपराध के लिये जुर्माना एवं दण्ड सुनिश्चित करना एवं इसे समय-समय पर पुनरीक्षित करना.

(ढ) विभिन्न वेन्डिंग स्थानों के लिये रायल्टी एवं मासिक शुल्क निर्धारित करने हेतु उस स्थान पर संभावित आय के कारक का अनुमान करना अथवा अनुमान कराना.

स्पष्टीकरण :— संभावित आय के कारक (ई. पी. एफ.) का निर्धारण नगर के लिए तीन से अधिक वर्गों में नहीं किया जायेगा. वर्ग-एक में उच्चतम संभावित आय वाले स्थान सम्मिलित होंगे तथा वर्ग-तीन में सबसे सामान्य संभावित आय वाले स्थान सम्मिलित होंगे.

(त) वेंडिंग अधिकार प्रदान करने हेतु रायल्टी तथा मासिक शुल्क का उचित एवं साम्यपूर्ण आधार पर निर्धारण करना जो ई. पी. एफ. के अनुसार देय होगा, तथा वार्षिक रूप से, यदि आवश्यक हो, तो पुनर्विलोकित एवं पुनरीक्षित करना.

स्पष्टीकरण :— 1. प्रत्येक स्थान में संभावित आय के कारक के ऊपर निर्भर स्थान से स्थान तक रायल्टी एवं मासिक शुल्क परिवर्तित की जा सकेगी. तथापि उस स्थान के भीतर, प्रत्येक या किसी भी वेन्डर द्वारा वस्तुओं या दी जा रही सेवाओं की रायल्टी और मासिक शुल्क एकरूप होगा.

स्पष्टीकरण :— 2. इकट्ठी की गई रायल्टी एवं मासिक शुल्क से उस स्थान में निगम को सफाई, पानी सप्लाई, प्रकाश व्यवस्था का प्रशासन एवं संगठन तथा अन्य निवेश एवं अन्य व्ययों के लागत के संबंध में आदर्श तौर पर सहायता देना चाहिए.

स्पष्टीकरण :— 3. उपरोक्त स्पष्टीकरण-2 के अधीन उपबंधित सेवाओं के संबंध में यथानिर्धारित स्थानों के लिए रायल्टी एवं मासिक शुल्क को वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा एवं लागत, यदि कोई हो, में वृद्धि को समायोजित किये जाने की रीति में पुनरीक्षित किया जायेगा.

(4) आयुक्त, नगरीय वेंडिंग समिति (टी.वी.सी.) का अध्यक्ष होगा.

(5) उपविधि 7 के अन्तर्गत नियुक्त अधीक्षक, नगरीय वेंडिंग समिति (टी.वी.सी.) का संयोजक होगा और नगरीय वेंडिंग समिति (टी.वी.सी.) के अभिलेख को संधारित करने हेतु जवाबदेह होगा.

(6) नगर पुलिस/यातायात पुलिस का प्रतिनिधि, निगम के दो अधिकारी जो राजस्व अधिकारी से निम्न श्रेणी के न हो, आयुक्त द्वारा नामांकित दो प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं नगरपालिक निगम के टाउन प्लानर, नगरीय वेंडिंग समिति (टी.वी.सी.) के सदस्य होंगे.

(7) नगरीय वेंडिंग समिति (टी.वी.सी.) वेन्डर संघ के दो सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी.

परन्तु यदि वेन्डर का कोई संघ न हो, तो आयुक्त दो वेन्डरों को, वेन्डरों के प्रतिनधित्व करने हेतु नामांकित कर सकेगा.

(8) वार्ड वेंडिंग समितियों के अध्यक्ष, टी.वी.सी. (नगरीय वेन्डिंग समिति) के पदेन सदस्य होंगे.

(9) इन उपविधियों के क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन की समीक्षा हेतु टी.वी.सी. (नगरीय वेंडिंग समिति), तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी.

6. **वार्ड वेन्डिंग समिति (डब्ल्यू.वी.सी.) का गठन.—**

(1) इन उपविधियों के प्रयोजनों को सफल बनाने के लिए टी.वी.सी. (नगरीय वेंडिंग समिति) द्वारा वार्ड स्तर पर एक या एक से अधिक समितियों का गठन किया जा सकेगा, जो वार्ड वेन्डिंग समिति कहलाएगी.

(2) वार्ड का सदस्य, वार्ड वेन्डिंग समिति का अध्यक्ष होगा.

(3) वार्ड वेन्डिंग समिति (डब्ल्यू.वी.सी.) में तीन अन्य सदस्य होंगे, जो आयुक्त द्वारा नामांकित किये जायेंगे जिसमें दो सिविल सोसायटी से होंगे तथा एक सदस्य वार्ड के वेन्डरों में से लिया जायेगा.

(4) वार्ड वेन्डिंग समिति (डब्ल्यू.वी.सी.), क्षेत्र सभा एवं वार्ड सभा द्वारा मार्गदर्शित होंगे.

(5) वार्ड वेन्डिंग समिति (डब्ल्यू.बी.सी.), नगरीय वेन्डिंग समिति (टी.वी.सी.) एवं आयुक्त को वार्ड क्षेत्र के भीतर वेन्डिंग अधिकारों की प्रक्रिया में एवं वार्ड में वेन्डिंग स्थानों के संपूर्ण प्रशासन के संबंध में उपयुक्त वेन्डिंग स्थानों को चिन्हांकित करने सलाहकारी सहायता प्रदान करेगी.

(6) वार्ड वेन्डिंग समिति (डब्ल्यू.बी.सी.), वार्ड के भीतर समस्त वेन्डिंग स्थान के संबंध में वेंडरों की शिकायत सुन सकेंगी और विवादों का निपटारा कर सकेगी.

7. **अधीक्षक की नियुक्ति.—**

(1) इन उपविधियों के प्रवृत्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर, आयुक्त, एक अधिकारी को जो राजस्व अधिकारी (वर्ग-दो) की श्रेणी से निम्न का न हो, अपने समग्र मार्गदर्शन के अधीन, इन उपविधियों के प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु अधीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा.

(2) अधीक्षक की नियुक्ति होने तक एवं उसके पश्चात् यदि उपविधि (1) के अधीन अधीक्षक के रूप में किसी अधिकारी की नियुक्ति न हो तो ऐसे समय में आयुक्त या उसके द्वारा नामांकित किसी अधिकारी को, इन उपविधियों के अधीन अधीक्षक समझा जायेगा.

8. **आयुक्त की शक्तियां, कर्त्तव्य एवं कृत्य.—**

(1) इन उपविधियों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिये, इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित सामान्य शक्तियों के अलावा आयुक्त के पास निम्नलिखित शक्तियां रहेंगी—

(क) उपविधि 7 के अधीन अधीक्षक की नियुक्ति करना एवं विधि के प्रावधानों के अनुसार, विशेष प्रकरण में कार्य करने हेतु अधीक्षक को निर्देश देना.

(ख) अवैध वेंडरों के संबंध में नरम तरीके विफल होने पर उनके ठेले, गाड़ी एवं सभी अन्य सामग्री जब्त करना तथा अवैध वेन्डिंग के लिए दण्ड निश्चित करना.

(ग) अवैध वेन्डिंग को प्रोत्साहन देने वाले के विरुद्ध संज्ञान लेना और इन उपविधियों और/या किसी अन्य विधि जो कि लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करना.

(घ) किसी विशिष्ट स्थान पर वेन्डिंग अधिकार के लिये आवेदन आमंत्रित करना और उचित, न्यायसंगत तथा पारदर्शी रीति में ऐसे अधिकार आवंटित करना.

(ङ) लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वेंडरों के लिये समयमान एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दशाओं के लिये मानक नियत करना.

(च) वेन्डिंग से संबंधित शिकायतों को सुनना एवं उनका निपटारा करना जो कि वार्ड वेन्डिंग समिति द्वारा उसको निर्दिष्ट किया जाये.

स्पष्टीकरण :—समस्त विवाद सर्वप्रथम वार्ड वेंडिंग समिति को निर्दिष्ट होंगे एवं केवल ऐसे विवाद जो अनसुलझे रह गये हों, उन्हें हल करने हेतु उन्हें वार्ड वेन्डिंग समिति (डब्ल्यू.वी.सी.) द्वारा आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(छ) इन उपविधियों के प्रयोजन को प्रभावी बनाने हेतु समस्त आवश्यक कृत्य करना.

9. **अधीक्षक की शक्तियां, दायित्व एवं कृत्य.—**

(1) इन उपविधियों के प्रवर्तन में अधीक्षक, आयुक्त द्वारा दिये गये सामान्य निर्देशों के अंतर्गत, कार्य करेंगे और निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेंगे और निम्नलिखित कार्य करेंगे.

(क) इन उपविधियों के प्रयोजनों के लिये वेन्डिंग स्थान का चार्ट तैयार करना और उनका नगरीय वेन्डिंग समिति से यथावत अनुमोदन प्राप्त करना.

(ख) आयुक्त एवं नगरीय वेंडिंग समिति को वेन्डरों के चयन की प्रक्रिया, उनके पंजीयन एवं उनको वेंडिंग अधिकार आवंटन करने के संबंध में सहयोग करना.

(ग) जो स्थान वेंडिंग स्थान नहीं है, उसमें किसी के द्वारा वेंडिंग हेतु किये जा रहे प्रयास की आयुक्त को लिखित में रिपोर्ट देना एवं इस संबंध में आयुक्त एवं नगरीय वेंडिंग समिति के आदेशों को प्रभावी बनाना.

(घ) वेन्डरों या अन्य सूत्रों से वेन्डिंग स्थान में वेंडिंग के लिए अनाधिकृत तत्वों द्वारा प्रयास किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त करना तथा इन उपविधियों के अनुसार इस संबंध में आवश्यकतानुसार सही कार्यवाही करना.

(ङ) वेंडिंग स्थानों एवं प्राधिकृत वेन्डरों की पंजी उस रीति में संधारित करना जैसा कि विहित किया जाये, एवं इन उप-विधियों के अंतर्गत संबंधित या आच्छादित सभी विषयों के अभिलेख एवं दस्तावेजों का संधारण करना.

(च) इन उपविधियों के अंतर्गत रायल्टी, किराया, जुर्माना एवं समस्त शोध्यों (देय) की मांग करना एवं प्राप्त करना.

(छ) वेंडिंग स्थानों में संतोषजनक सफाई, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी दशायें सुनिश्चित करने के लिए, वेंडिंग स्थान से कूड़े-कचरे को नियमित एवं उचित ढंग से इकट्ठा करने तथा हटाने के लिए वेंडिंग स्थान का निरीक्षण करना या निरीक्षण कराना और संतोषजनक स्थिति नहीं होने पर आयुक्त को आवश्यकतानुसार सही कार्यवाही करने हेतु उनके जानकारी में लाना.

(ज) यह सुनिश्चित करना कि जनता को उपलब्ध कराये जाने वाले उत्पाद की मात्रा एवं सेवायें, निगम और/या शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा हेतु दिये गये मानक के अनुरूप है.

(झ) अवैध वेंडिंग को रोकने हेतु नोटिस जारी करना और यदि नोटिस से वांछित कार्यवाही नहीं होती है तो उन्हें शारीरिक रूप से हटाना तथा अवैध वेन्डिंग के सामग्रियों, (साज-सामान) को जप्त करना और तत्पश्चात् अपराधियों के विरुद्ध आगे की कार्यवाही करते हुए, दण्ड/जुर्माना अधिरोपित करना तथा वसूल करना.

(ञ) यदि और जब आवश्यकता हो, पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना और/या अन्य समुचित प्राधिकारी से अवैध वेन्डरों के तथा उन्हें प्रोत्साहन देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु शिकायत करना.

(ट) निगम क्षेत्र में सुरक्षित वेंडिंग व्यवसाय को प्रोत्साहन करने के लिए इन उपविधियों के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों का यथासंभव किसी भी साधन से व्यापक प्रचार करना.

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि निगम क्षेत्र में वेंडिंग, उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप है.

10. **वेन्डिंग अधिकार स्वीकृत करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया.—**

(1) इन उपविधियों के प्रवृत्त होने की तारीख से निगम क्षेत्र में वेंडिंग हेतु अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया, इस उप-खण्ड में उपबंधित अनुसार होगी.

(2) आयुक्त, निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों का चिन्हांकन तथा अभिलेखांकन करायेगा कि वेन्डर द्वारा संभावित रूप से उपयोग किया जा सके तथा नीचे दिये गये उपखण्ड (3) के अनुसार वेंडिंग स्थानों का वर्गीकरण करायेगा.

स्पष्टीकरण-1. वेंडिंग स्थान के रूप में उपयोग के लिये उपयुक्त सार्वजनिक स्थान को चिन्हांकित करते समय आयुक्त, सामान्य लोकहित जैसे-यातायात का सुगम संचालन, क्रेताओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता का रखरखाव, उपयोगी सामग्री की उपलब्धता और सुविधाजनक कारकों को विचार में रखेगा.

स्पष्टीकरण-2. जब दुकाने बंद हो, तो दुकानों के सामने का स्थान जिसमें मार्केट का बरामदा भी सम्मिलित है, को सीमित समय/दिवसों के दौरान निर्बंधित उपयोग के लिए भी चिन्हांकित किया जा सकेगा.

(3) उप-खंड (2) के अधीन चिन्हांकित किए गए स्थान, तीन श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किये जायेंगे :—
(क) वेंडिंग निषेध स्थान
(ख) निर्बंधित वेंडिंग स्थान, तथा
(ग) नियमित वेंडिंग स्थान.

(4) वेंडिंग निषेध स्थान में किसी भी वेंडिंग की अनुमति नहीं होगी.

(5) निर्बंधित वेन्डिंग स्थानों में निम्नलिखित एक या एक से अधिक निर्बंधन लगाये जायेंगे :—
(क) वेन्डिंग का समय
(ख) वेन्डिंग (या वेन्डिंग निषेध) के सप्ताहिक दिवस
(ग) वेन्डिंग के लिये वस्तुएं एवं सेवाएं

(6) नियमित वेंडिंग स्थानों में प्राधिकृत वेन्डरों को पूरे साप्ताहिक दिवस, विक्रय करने की अनुमति दी जा सकेगी.

(7) वेन्डिंग स्थानों में सभी तरह के वाहन, जिसमें दो पहिया वाहन, सायकल, पालतू कुत्ते और स्थान बाधित करने वाली अन्य वस्तुएं और सार्वजनिक बाधा को प्रतिबंधित किया जायेगा.

(8) वार्डों में पूर्व से ही वेन्डिंग गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के संबंध में आयुक्त वार्डवार जानकारी एकत्र करवायेगा, जो वार्ड वेन्डिंग समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित होगी. इन उपविधियों के खण्ड 11 में यथा अपेक्षित वचन पत्र उनके द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर, इन व्यक्तियों को उपखण्ड (2) के अनुसार चिन्हांकित तथा उपखण्ड (3) के अनुसार वर्गीकृत स्थानों पर वेन्डिंग अधिकार प्रदान किया जायेगा.

(9) प्राप्त जानकारी के आधार पर तथा नीचे दिये गए उप-खण्ड (14) में उल्लेखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर, जब ये उपविधियां प्रवृत्त हो, तो आयुक्त व्यवसाय में पूर्व से लगे वेन्डरों को स्वस्थानीय संगठन में के लिए पहली प्राथमिकता देगा.

(10) ऐसे वेन्डरों के लिए जिन्हें उपरोक्त उप-खण्ड (9) के अन्तर्गत व्यवसाय के संगठन (व्यवस्थापन) के कारण विस्थापित किये जा सकते हों, आयुक्त वैकल्पिक वेन्डिंग स्थानों में उम्हें व्यवस्थापित करने हेतु प्राथमिकता देगा.

(11) इन उपविधियों के प्रवृत्त होने के पूर्व वे सभी वेन्डर जो व्यवसाय से जुड़े हो, के व्यवस्थापित होने के पश्चात् यदि अतिरिक्त वेन्डिंग स्थान शेष हो तो आयुक्त इन अतिरिक्त स्थानों पर वेन्डिंग अधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित करेगा. इस हेतु, वह निगम क्षेत्र में सभी उचित स्थानों पर सार्वजनिक घोषणा करवायेगा तथा स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करेगा और पूरी व्यवस्था करायेगा और वेन्डिंग अधिकार प्रदान करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदनों का प्रचलन एवं एकत्रीकरण करायेगा.

(12) इस तरह से एकत्र किये गये आवेदन पत्रों के आधार पर, आयुक्त वेन्डिंग अधिकार के अस्थायी आवंटन को सूची तैयार करायेगा.

(13) उपरोक्त उप-खंड (12) के अनुसार अस्थायी तौर पर चयनित आवेदकों को इन उपविधियों के खण्ड 11 में यथा अपेक्षित वचन-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

(14) नियमित एवं निर्बंधित वेन्डिंग स्थानों पर वेन्डिंग का अधिकार सौंपते समय, आयुक्त निम्नलिखित कारकों एवं मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर मानक निश्चित कर सकेगा :—
(क) प्रतिस्पर्धा एवं आर्थिक सामर्थ्य.

(ख) अधिकाधिक वेंडरों को लाभ प्रदान किया जाना चाहिए जैसा कि व्यवस्थापित किया जाए.

(ग) उस स्थान पर या अन्यत्र लंबी अवधि से वेन्डिंग कर रहे वेन्डरों का उपरोक्त उप-खण्ड (8) के अन्तर्गत प्रथम व्यवस्थापन किया जायेगा.

(घ) किसी भी वेंडर को एक से अधिक स्थान पर वेंडिंग का अधिकार प्रदान नहीं किया जायेगा.

(ङ) वेन्डिंग अधिकार देने की प्रक्रिया में किसी भी एजेंसी या कार्टेल या चेन लीडर या दलाल जिसे चाहे जो भी नाम दिया जाये. को किसी भी प्रकार की भूमिका प्राप्त नहीं होगी.

(च) महिलाओं और अन्य विशेष वर्गों को जैसा कि नगरीय वेन्डिंग समिति द्वारा निर्धारित किया जाये, उचित अंश दिया जायेगा.

(छ) स्थानीय नागरिकों की आवश्यकताओं एवं जरूरतों का सम्यक् रूप से ध्यान रखा जायेगा.

(ज) वार्ड एवं क्षेत्र सभा की अनुशंसा को ही वरीयता दी जाये.

(15) यदि विक्रय अधिकारों के लिए मांग, उपलब्ध विक्रय स्थान से अधिक हो, तो आयुक्त स्वविवेक का उपयोग करते हुए आर्थिक अर्थक्षमता पर गौर करते हुए, अधिकतम आवेदकों का व्यवस्थापन करने हेतु दिन के अलग-अलग समयों या सप्ताह के दिनों के लिए आवेदकों को वेन्डिंग अधिकार प्रदान करने हेतु विचार कर सकेगा.

परन्तु तथापि, किसी भी प्रकरण में आयुक्त अधिक राजस्व की प्राप्ति के दृष्टिकोण से विक्रय अधिकार को सार्वजनिक रूप से नीलामी नहीं करेगा.

(16) वेन्डिंग अधिकार पहचान पत्र-सह-रजिस्ट्रेशन कार्ड के प्रारूप में दिये जायेंगे, जो वेंडिंग अधिकार कार्ड कहलायेंगे. उस पर वेन्डर की फोटो चस्पा होगी एवं उसका नाम और मूल व्यक्तिगत जानकारी होगी. वेन्डर से अपेक्षा की जायेगी कि वह उक्त कार्ड हमेशा अपने पास रखे यदि तथा जब निरीक्षण हेतु मांगी जाये तो उसे प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए.
स्पष्टीकरण :— जब वेन्डिंग अधिकार कार्ड मांगा जाए तो वेन्डिंग अधिकार कार्ड प्रस्तुत करने में असफल रहने पर, चाहे कार्ड के गुम हो जाने के कारण या अन्य किसी भी कारण से, अपराध माना जायेगा, जो कि जुर्माने से आकर्षित होगा जैसा कि नगरीय वेन्डिंग समिति द्वारा निर्धारित किया जाये.

(17) उपरोक्त उप-खंड (16) के अंतर्गत प्रदत्त किये गये वेन्डिंग अधिकार अहस्तांतरणीय होंगे.

(18) वेन्डिंग अधिकार एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किये जायेंगे और सामान्यतया ये इसके पश्चात् वेन्डर द्वारा देय राशि समय पर अदा करने और उसके द्वारा पूर्व स्वीकृत रायल्टी एवं किराया जब कभी-भी पुनरीक्षित दर पर लागू हो, के अंतर्गत रहते हुए नवीनीकृत किया जा सकेगा.

परन्तु तथापि क्षेत्र और/या वार्ड सभा, आयुक्त को किसी वेन्डर के विरुद्ध कोई लिखित शिकायत प्रस्तुत करता हो, जो त्वरित सत्यापन में सही पाई गई हो, तो किसी वेन्डर को प्रदत्त वेन्डिंग अधिकार कार्ड बिना किसी क्षतिपूर्ति के निरस्त किया जा सकेगा.

11. **वेन्डिंग अधिकार कार्ड के परिदान हेतु वचन पत्र अनिवार्य.—**

(1) प्रत्येक आवेदक को, जिसे वेन्डिंग अधिकार कार्ड प्रदान करने हेतु चिन्हांकित किया गया हो, चाहे वह खण्ड 10 के उप-खण्ड (8) अथवा उप-खण्ड (10) के अधीन हो, परिशिष्ट "अ" जो कि इन उपविधियों से संलग्न है तथा इसका अभिन्न अंग है, पर विहित रीति के अनुसार उचित मूल्य के नॉन-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनिवार्यत: एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा.

(2) वचन पत्र में निम्नलिखित बिन्दु शामिल होंगे :—

(एक) आवेदक का नाम, आयु, पता, टेलीफोन नम्बर तथा निगम क्षेत्र में निवास तथा आजीविका की स्थिति से संबंधित जानकारी.

(दो) प्रदान किये जाने वाले अधिकार का विस्तार तथा प्रकृति के संबंध में आवेदक का पुष्टिकरण.

(तीन) वेन्डिंग अधिकार के संबंध में, निगम के प्रति वित्तीय दायित्वों से संबंधित आवेदक की वचनबद्धता.

(चार) स्वच्छता तथा जन स्वास्थ्य के प्रति आवेदक की प्रतिबद्धता.

(3) वचन पत्र प्रस्तुत करने में चूक और/या ऐसा करने से मना करने पर संक्षेपत: प्रारंभिक चयन से शून्य तथा अकृत होगा तथा यदि उसके द्वारा कोई अग्रिम राशि जमा की गई हो तो उसे निगम द्वारा राजसात कर लिया जायेगा.

12. **फेरी का विनियमन.—**

(1) कोई भी व्यक्ति निगम क्षेत्र में नीचे अंतर्विष्ट विनियमनों के अध्यधीन रहते हुए, फेरी लगाने हेतु स्वतंत्र है.

(2) फेरी कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा किन्तु फेरीवाले को फोटो परिचय पत्र अभिप्राप्त करना तथा फेरी लगाते समय सदैव उसे धारण करना आवश्यक होगा.

(3) वार्ड मेम्बर अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी की अनुशंसा पर, आयुक्त प्रत्येक आवेदक से मूल्य प्राप्त कर फोटो परिचय पत्र प्रदान करेगा, जो आजीविका के साधन के रूप में फेरी लगाने के इच्छुक हो.

(4) नगरीय वेन्डिंग समिति निगम क्षेत्र में सामान्य जनहित में, फेरी का विनियमन करने हेतु समय-समय पर नियम निर्धारित, संशोधित तथा परिवर्तित कर सकेगा, ऐसे नियमों में सदैव निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित रहेंगे:

(अ) निगम क्षेत्र में फेरीवाला अपने ठेले या अपने सिर में लादकर विक्रय के लिए किसी भी मार्ग और/या गली में घूम सकेगा, किन्तु ऐसे मार्गों पर रूक कर अपनी वस्तुओं का विक्रय और/या सेवाएं नहीं दे सकेगा जहां ट्रैफिक (यातायात) के सुचारू आवागमन हेतु और/या अन्य किसी भी कारण हेतु सामान्य जनहित में नगरीय वेन्डिंग समिति द्वारा फेरी पर रोक लगाई गई हो.

स्पष्टीकरण :— उपरोक्त के प्रयोजन के लिए नगरीय वेन्डिंग समिति ऐसे मार्गों का मनोनयन करेगी जिन पर फेरी प्रतिबंधित होगी. आयुक्त ऐसे मार्गों पर दोनों छोरों पर प्रमुख रूप से चिन्ह-बोर्ड में हिन्दी में सूचना प्रदर्शित करायेगा कि इस मार्ग पर फेरीवाले के लिए यात्रा की अनुमति है किन्तु इस मार्ग पर विक्रय (फेरी) प्रतिबंधित है तथा इस विनियमन का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किये जाने पर संक्षेपत: रु. .. का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा.

(ब) फेरीवाले द्वारा वेन्डिंग व्यवसाय करना अवैध होगा.

13. **अवैध वेंडिंग का प्रोत्साहन.—**

(1) प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से अवैध वेंडिंग को प्रोत्साहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध गठित करना माना जायेगा तथा तद्नुसार धारा-440 के अंतर्गत दण्डनीय होगा.

(2) उपविधि (1) के अंतर्गत दिया जाने वाला दण्ड, किसी अन्य दण्ड/जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जो कि अधिनियम और/या अन्य किसी भी विधि जो तत्समय प्रवृत्त हो के अंतर्गत अधिरोपित किया जा सकता हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

परिशिष्ट "अ"

वचन पत्र

[स्ट्रीट वेन्डर तथा फेरीवाला (पंजीयन एवं विनियमन) उपविधियां 2010 की धारा 11 के अधीन स्ट्रीट वेन्डर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने हेतु]

स्ट्रीट वेन्डर तथा फेरीवाला (पंजीयन एवं विनियमन) उपविधियां 2010 की धारा 10 के अंतर्गत बाजार के विनियमन हेतु जहां तक यह फेरी वाले तथा स्ट्रीट वेन्डरों से संबंधित है, ... नगर निगम क्षेत्र में, नगर पालिक निगम .... द्वारा मुझे वेंडिंग (विक्रय) अधिकार प्रदान किये जाने की स्थिति में, मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता पूरी निष्ठा से निम्नानुसार वचन पत्र तथा शपथ पर कथन प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) यह कि मैं .... के निगम क्षेत्र में गत .... वर्षों से निवासरत् हूं.

अथवा

यह कि मैं .... के निगम क्षेत्र के बाहर निवास करता हूं किन्तु मैं नियमित रूप से गत .... वर्षों से निगम क्षेत्र में वेन्डर का कार्य कर रहा हूं.

(दो) यह कि मेरी आयु लगभग .... वर्ष की है.

(तीन) यह कि वर्तमान में मैं निम्नानुसार वस्तु/सेवाएं का विक्रय स्ट्रीट वेन्डर के रूप में कार्य कर अपना जीवन यापन करता हूं :—

अथवा

यह कि मैं वर्तमान में बेरोजगार हूं तथा मैं, निम्नानुसार वस्तु का विक्रय कर सेवाएं देकर स्ट्रीट वेन्डर के रूप में जीवन यापन करने की इच्छा रखता हूं :—

(चार) यह कि उपरोक्त के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई भी रोजगार अथवा व्यापार अथवा व्यवसाय नहीं है.

(पांच) यह कि मेरे स्वामित्व में व्यवसाय या व्यापार करने हेतु .... निगम क्षेत्र के किसी भी भाग में कोई स्थान नहीं है, न ही मेरी क्षमता है कि मैं कोई भूमि या स्थान क्रय कर सकूं या पट्टे पर प्राप्त कर सकूं ताकि उपरोक्त व्यवसाय वेन्डर के रूप में संचालित कर सकूं.

(छः) यह कि मेरा पंजीयन शहरी वेंडर के रूप में हुआ है और मुझे निम्नानुसार पंजीयन क्रमांक प्रदान किया गया है :—

नाम	पति/पिता का नाम	आयु	पंजीयन क्रमांक

(सात) यह कि नगर पालिक निगम की लिखित अनुमति के बिना उपरोक्त अधिकार, अहस्तांतरणीय होगा.

(आठ) यह कि मुझे प्रदान की गई पंजीयन-सह-पहचान पत्र को मैं सुरक्षित रखूंगा तथा प्राधिकृत अधिकारियों की मांग पर मैं इसे सत्यापन एवं निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करूंगा.

(नौ) यह कि उपरोक्त पंजीयन सह पहचान पत्र की समयावधि पूर्ण होने के पूर्व में नवीनीकरण-शुल्क जैसा कि विहित किया जाये, को अदा करने पश्चात् इसका नवीनीकरण करवाऊंगा.

(दस) यह कि मुझे नीचे वर्णित वेन्डिंग स्थानों पर उपयोगार्थ अधिकार (यूसूफ्रक्ट राईट) प्रदान किया गया है :

स्थल	गतिविधि जिसके लिये वेंडिंग अधिकार प्रदान किया गया है	वेन्डिंग (विक्रय) स्थल का विवरण	
		स्थान पहचान संदर्भ संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफुट में)

(ग्यारह) यह कि उपरोक्त अधिकार न तो स्वामित्व अधिकार है न ही पट्टा का अधिकार, तथा मुझे उपरोक्त स्थान को विक्रय या पट्टा या अन्य किसी भी माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं है, तथा यदि मैं ऐसा करता हूं तो मैं दण्ड तथा जुर्माना जैसा कि विधि के अधीन नियम हो, के लिए दायी रहूंगा.

(बारह) यह कि मैं वचन देता हूं कि मैं निगम को उः के द्वारा यथा समय पर निर्धारित रायल्टी, मासिक शुल्क एवं अन्य समस्त व्यय का नियमित भुगतान करूंगा. प्रारंभ में निम्नानुसार भुगतान करूंगा :

क्र.	मद	राशि	भुगतान कब-कब करना होगा
	पंजीयन शुल्क वेंडिंग अधिकारी रायल्टी वेंडिंग स्थान का मासिक शुल्क		

(तेरह) यह कि मैं,अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य तथा लोक स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखूंगा तथा ग्राहकों की संतुष्टि का ध्यान रखूंगा.

(चौदह) यह कि मैं सफाई और स्वच्छता के ऊंचे मापदण्डों का पालन करूंगा तथा इन्हें कभी भी निगम द्वारा समय-समय पर निधारित मापदण्डों से नीचे नहीं होने दूंगा.

(पन्द्रह) यह कि मेरे व्यवसाय के अंतर्गत सृजित होने वाले ठोस एवं तरल अपशिष्ट का विसर्जन मैं उसी तरीके से करूंगा जैसा कि निगम द्वारा निर्धारित किया जायेगा.

(सोलह) यह कि मैं अपने कारोबार को मुझे आवंटित स्थान की सीमा तक ही रखूंगा तथा यदि मैं सीमा का उल्लंघन करता हूं तो मुझ पर निगम द्वारा निर्धारित जुर्माने देने का दायी रहूंगा.

(सत्रह) यह कि मैंने स्ट्रीट वेंडर तथा फेरीवाला (पंजीयन एवं विनियमन) उपविधियां 2010 को पढ़ा है और समझ लिया है तथा मैंने इसके अंतर्गत आवश्यकताओं पर गौर किया है तथा मैं इन उपविधियों को मानता हूं और इनका पूरा और सही पालन करने का वचन देता हूं.

(अट्ठारह) यह कि समस्त पत्राचार तथा सूचनाओं को तामील करने हेतु मेरा निवास स्थान का पता निम्नानुसार है तथा इसमें कोई भी परिवर्तन होने पर यह मेरा दायित्व होगा कि मैं इसकी सूचना लिखित में आयुक्त को दूं और ऐसी सूचना की पावती प्राप्त करूं :

नाम :
पति/पिता का नाम :
पता :
टेलिफोन क्र. (यदि हो तो) :

मेरे द्वारा अपने ही हाथों से आज दिनांक .... को नीचे उल्लेखित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर निगम को सौंपा गया.

हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

गवाह

1. 2.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2010

क्रमांक 4637/6583/18/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना 4637/6583/18/2009 दिनांक 02-09-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

Raipur, the 2nd September 2010

NOTIFICATION

No. 4637/6583/18/2009.—In exercise of the powers conferred by Section 432-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government hereby makes the following Model Bye-laws under sub section (24) of Section 427 of the Said Act, to regulate the management of municipal markets in so far as it relates to Urban Street Vendors and Hawkers, by the Municipal Corporations in the State, namely :—

MODEL BYE-LAWS
(For Adoption by Municipal Corporations in Chhattisgarh)

1. **Short title, extent and commencement.—**

(1) These bye-laws may be called the Urban Street Vendors and Hawkers (Registration and Regulation) Bye-laws, 2010;

(2) These Bye-laws will be applicable in the area covered by the administrative jurisdiction of the Municipal Corporation of (Name of the city ....) in Chhattisgarh;

(3) These bye-laws will come into force, subsequent to notification by the Government, from the date of their adoption by the Corporation under sub-section (2) of Section 432-A and/or sub-section (3) of Section 432 of the Act, as applicable.

2. **Definitions.**—In these bye-laws unless the context otherwise requires,—

(1) "Act" means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);

(2) "Commisioner" means the officer appointed as such in the Municipal Corporation;

(3) "Corporation area" means the area within the administrative jurisdiction of the Municipal Corporation;

(4) "Encouragement of Illegal Vending" means explicit or tacit promotion of vending in streets or elsewhere in contravention of the provisions of these Bye-laws or, interfering in or obstructing the discharge of duties or exercise of powers by the Commissioner and/or the Superintendent in accordance with the provisions of these Bye-laws;

(5) "Earning Potential" refers to a notional potential for earning through vending in any given vending space, estimated by the Town Vending Committee or any agency commissioned by it for this purpose, on the basis of the prime nature of the locality, the general economic status of clientele residing there, and any other local factor that makes vending there a profitable proposition;

(6) "Hawker" means a person who sells goods or services through hawking;

(7) "Hawking" means the act of sale of goods or services by a person whether bearing the goods as head-load or in a vehicle or pushcart, such person being on the move and not stationed at any customary spot in or outside any market place;

(8) "Illegal Vending" means vending in streets or elsewhere in contravention of the provisions of these Bye-laws;

(9) "Natural Markets" means a market, including the haat bazaar, where sellers and buyers have traditionally congregated for more than a specified period for the sale and purchase of a given set of products or services as assessed by the Town Vending Committee;

(10) "Street Vendor" means a person registered as such under these Bye-laws, and entitled to vend in a specified manner in a specified zone, in the Corporation area, "Illegal Vendor" means any person or agency who indulges in vending in contravention of the provisions contained in these Bye-laws;

(11) "Superintendent" means the officer appointed as such in terms of bye-laws 7 of these bye-laws;

(12) "Town Vending Committee" means a committee formed under the Chairmanship of the Commissioner constituted in terms of bye-laws 5 of these bye-laws;

(13) "Vending" means sale of goods and services from either a kiosk or wheeled-vehicle or push-cart or basket (s) or any container, rested upon a public place; customarily parked or stationed at a place, functional all thorugh the working day or for part of the day;

Explanation-1. Sale of vegetables, fruits, fish and any other stuff by women bearing baskets upon their heads and hawking through the streets or by men bearing it upon heads or on bicycles that are generally in motion and not parked at a point will be exempt from the provisions of these bye-laws;

Explanation-2. Sale of vegetables, fruits, fish and any other stuff by women or men displaying their ware upon a mat or rug or any other material or basket or container upon the road or footpath or any other public place shall be construed as vending;

Explanation-3. Vending is different from shop-keeping in this regard that unlike in the case of a shop, after business hours the vendor will remove his ware and vehicle, if any, from the spot of business, and vacate it.

(14) "Vending Space" means a public space that has been identified by the Town Vending Committee as suitable for use by a specified number of vendors, either for the entire working day, or for part of the day between specified hours, either on all days of the week or on specified days of the week;

(15) "Ward Vending Committee" means a committee under the Chairmanship of the Ward Member formed in terms of bye-law 6 for protecting the livelihoods of Street vendors in the ward while at the same time imposing reasonable restrictions, if necessary, for ensuring flow of traffic and for addressing concerns relating to public health and hygiene in the public interest.

13. **Regulation of Vending.—**

(1) From the date these Bye-laws come into force, vending in the Corporation area in contravention of the provisions contained here in shall be illegal and all related paraphernalia and goods will be liable for removal and confiscation without notice and without prejudice to other penalties and punishment under these bye-laws, and/or the Act and/or any other law as may be applicable.

(a) The Commissioner shall allow a start-up grace period of forty-five days after these bye-laws come into force to enable current street vendors, legal or illegal, to ensure compliance with the provisions contained herein.

(b) The Commissioner may, for general information, publish a Notice of the above Bye-laws having come into force for two days in such two daily newspapers which are in the approved list of Government for advertisement purpose and which have circulation in the Corporation area, and affix a copy thereof in a conspicuous place in the office of the Municipal Commissioner, and cause an announcement in the Corporation area on the loud speaker.

(c) To the extent feasible, the Commissioner may cause on-the-spot registration of Street Vendors to ensure that they are not put to avoidable hardship.

(d) No shortcoming on the part of the Commissioner in respect of action recommended in sub-clause (1) (b) or (c) shall provide reason to any vendor or person for failure to comply with the provisions of these Bye-laws.

(2) Practice of vending in contravertion of these bye-laws shall constitute an offence in terms of the Act, and shall be punishable under Section-440 accordingly.

(3) The punishment under sub-clause (2) shall be without prejudice to any other penalty/fine that may be imposed under the Act and/or any other law for the time being in force.

4. **Exemptions.—**

(1) Vedning on the land, premises and trains owned by Indian Railways, its subsidiaries including public sector undertakings where Indian Railways hold share, are exempted from the ambit of these bye-laws.

(2) Hawking and hawkers are exempted from the ambit of these bye-laws, except in so far as provisions under Section 12 relate to them.

(3) Natural Markets are exempted from the ambit of these bye-laws.

Provided, however, that the Corporation shall endeavour at all times to improve the infrastructure in the Natural Markets and to strengthen the health, hygiene, sanitary conditions therein.

(4) Festival-time vending, including sale of fire-crackers during Diwali for which special arrangements are made by the Corporation are exempted from the ambit of thes bye-laws.

(5) Vending in exhibitions and fairs set up with specific approval and/or consent of the Corporation and/or the Government is exempted from the ambit of these bye-laws.

5. **Formation of Town Vending Committee (TVC).—**

(1) Within one month of these bye-laws coming into force, the Commissioner shall form a committee to be called the Town Vending Committee (TVC) for protecting the livelihoods of Street vendors in the town while at the same time imposing reasonable restrictions, wherever necessary, for ensuring smooth flow of traffic, and for addressing concerns relating to public health and hygine in the public interest, and for general improvement of urban aesthetics, and for making vending business hassle-free and customer-friendly.

(2) The Town Vending Committee shall primarily be an advisory body.

(3) Notwithstanding anything stated in sub-clause (2) above, the Town Venting Committee shall do the following:

(a) Approve, with or without changes, the vending spaces identified by the Superintendent and/or recommended by the Ward Vending Committees.

(b) Categorize and designate the vending spaces as 'No Vending Space' and 'Restricted Vending Space' and 'Regular Vending Space'.

Explanation :— The designation of a space as 'No Vending Space', 'Restricted Vending Space' or 'Regular Vending Space' shall not be unalterable, given the changing trends and needs with time.

(c) Review from time to time and amend, alter or change the designation of vending spaces in (b) above according to the changing trends and needs of the city.

(d) Prescribe the maximum number of street vendors for each of the restricted and regular vending space, bearing in mind the economic viability of business.

(e) Restrict hawking at certain places and certain hours in public interest and to facilitate smooth and safe movement of traffic.

(f) Restrict entry and movement of all vehicles including bicycles belonging to vendors, shoppers and others in and around the vending spaces to make shopping in the vending zones safe, de-congested and hassle-free.

(g) Designate Natural Markets in the Corporation area.

(h) Promote access of street vendors and hawkers to such services as credit, skill development, housing, healthcare, social security and capacity building.

(i) Promote vendors, interests through promotion of such events as Vendors' Bazar, and Street Food Festivals.

(j) Prescribe norms for health and hygiene and sanitation conditions in vending spaces and zones.

(k) Promote, where necessary, organizations of street vendors in the form of unions/coopera-tives/associations and self-help groups to facilitate their collective empowerment and betterment of services in the vending spaces through self-regulation.

(l) Prevent child labour in vending business and facilitate to rehabilitate children found involved in vending.

(m) Define offences and fix fines and penalties for each offence and revise these from time to time.

(n) Estimate or cause estimation of the Earning Potential Factor (EPF) to facilitate fixing of rates for royalty and monthly fee for various vending spaces.

Explanation: The Earning Potential Factor (EPF) fixed shall be in not more than three scales for the city. Scale I Shall relate to the highest potential location and scale III shall relate to the most moderate potential location.

(o) Fix rates for the royalty for grant of vending rights and monthly fee on a fair and equitable basis, with due consideration to the EPF, and review and, if desired, revise it annually.

Explanation-1. the royalty monthly fee may very from space to space depending upon the earning potential factor (EPF) at each space. Within a space, however, the Royalty and monthly fee shall be uniform irrespective of the goods or services being rendered by each or any of the vendors.

Explanation-2. The royalty and monthly fee collected should be notionally such as to help the Corporation meet the cost of administering and orginazing sanitation, water supply, common lighting and other investment and common expenses in the space.

Explanation-3. The rate of royalty and monthly fee for a space as fixed shall be reviewed on a annual basis and revised in a manner to offset the increase in cost, if any, in providing the services mentioned under explanation-2 above.

(4) The Commissioner shall be Chairman of the Town Vending Committee (TVC).

(5) The Superintendent appointed in terms of bye-law 7 shall be the convenor of the TVC and shall be responsible for maintaining record of the proceedings of the TVC.

(6) The TVC (Town Vending Committee) shall have as members a representative of the City Police/ Traffic Plice, two officers of the Corporation not below the rank of Revenue Officer, two social workers of good reputation nominated by the Commissioner, and the Town Planner of the Municipal Corporation.

(7) The TVC (Town Vending Committee) shall co-opt as members two office-bearers of the vendors union.

Provided, however, that if there is no union of the vendors, the Commissioner may nominate two vendors from the town to represent the vendors guild.

(8) The Chairman of all the Ward Vending Committees shall be ex-officio members of the TVC (Town Vending Committee).

(9). The TVC (Town Vending Committee) shall meet at least once in three months to review the administration and enforcement of these bye-laws.

6. **Formation of the Ward Vending Committee (WVC).—**

(1) The TVC may form, for better achievement of the purposes of these bye-laws at the ward level, one or more committee(s) to be called the Ward Vending Committee(s).

(2) The Ward Member shall be Chairman of the Ward Vending Committee (WVC).

(3) The Ward Vending Committee (WVC) shall have three other members, two drawn from civil society and one drawn from among the vendors in the ward, nominated by the Commissioner.

(4) The Ward Vending Committee (WVC) shall be guided by the Area Sabha and the Ward Sabha.

(5) The Ward Vending Committee (WVC) shall render advisory help to the Town Vending Committee (TVC), and the Commissioner in identifying suitable vending spaces within the ward, in the process of grant of vending rights, and the overall administration of the vending spaces in the ward.

(6) The Ward Vending Committee (WVC) shall hear complaints and resolve disputes of vendors in respect of all vending spaces within the ward.

7. **Appointment of Superintendent.—**

(1) Within fifteen days of these bye-laws coming into force, the Commissioner shall appoint an officer not below the rank of a Revenue Officer (Class-II) as Superintendent for executing, under his overall guidance, the purpose of these bye-laws.

(2) Till such time as a superintendent is appointed, and, thereafter, if a superintendent is not appointed under bye-laws (1) within the prescribed time, the Commissioner or any officer appointed by him shall be deemed to be the Superintendent under these bye-laws.

8. **Powers, Duties and Functions of the Commissioner.—**

(1) Apart from the general powers vested in him under the Act, for the purposes of enforcement of these Bye-laws, the Commissioner shall have the following powers :—

(a) To appoint Superintendent under bye-law 7, and to instruct the Superintendent to Act in specific cases in accordance with the provisions of law.

(b) To confiscate, after milder methods have been exhausted, carts, kiosks and all other paraphernalia in respect of illegal vendors and to quantify punishment for illegal vending.

(c) To take cognizance of Encouragement of illegal vending and to act against the offenders according to the provisions of these Bye-laws and/or any other law as may be applicable.

(d) To mobilize applications for vending rights at specific locations, and to allot such rights in a fair, equitable and transparent manner.

(e) To prescribe the norms, timings and hygienic conditions for vendors for ensuring public health and safety.

(f) To hear complaints and to resolve disputes relating to vending, as may be referred to him by the Ward Vending Committee.

Explaination :— All disputes shall first be referred to the Ward Vending Committee and only such disputes as remain unresolved there shall be referred to the Commissioner by the Ward Vending Committee for resolution.

(g) To do all that may be necessary to give effect to the purposes of these Bue-laws.

9. **Powers, Duties and Functions of the Superintendent.—**

(1) In enforcing these Bye-laws, the Superintendent shall act under general instructions of the Commissioner, and shall exercise the following powers, and do the following acts :—

(a) To chart out the vending spaces for the purposes of these Bye-laws and to get the same approved by the Town Vending Committee.

(b) To support the Commissioner and the Town Vending Committee in the process of selection of vendors, their registration and allotment of vending rights to them.

(c) To report to the Commissioner in writing any attempt by anybody to set up vending paraphernalia in the no-vending space(s), and to give effect to the orders of the Commissioner and the Town Vending Committee in this regard.

(d) To receive complaints from vendors or other sources regarding attempts by unauthorized elements to practice vending in their vending spaces, and to take needful corrective action in this regard in accordance with these bye-laws.

(e) To maintain a register of the vending spaces and the authorized vendors in each space in a manner as may be prescribed, and to maintain a record of all matters and documents relating to or covered under these bye-laws.

(f) To demand and receive royalties, rents, penalties and all dues under these bye-laws into the Corporation account.

(g) To inspect or cause inspection of the vending spaces to ensure satisfactory sanitary and hygienic conditions, regular and propoer system for collection and disposal of solid waste from the vending spaces and if not satisfied, to bring the same to the notice of the Commissioner to enable needful corrective action.

(h) Ensure that the quality of products and services provided to the public is as per standards of public health, hygiene and safety laid down by the Corporation and/or the Government.

(i) To issue notice (s) for stopping illegal vending and, if the notice does not bring forth the desired action, to cause physical removal and confiscation of the illegal vending paraphernalia and, initiate further action against offenders for imposition and realization of fine/penalties.

(j) To file, if and when necessary, FIRs with the police and/or complaints with other appropriate authorities for action against illegal vendors and those that encourage it.

(k) To disseminate the object and purpose of these Bye-laws by whatever means, as often as possible, as widely as possible to promote safe vending practices in the Corporation area.

(l) To ensure that vending in the Corporation area is in acordance with the bye-laws.

10. **Procedure Prescribed for Grant of Vending Rights.—**

(1) From the date these bye-laws come into force, the procedure to be followed for vending in Corporation area shall be as provided in this clause.

(2) The Commissioner shall cause identification and documentation of public spaces in the Corporation area that could possibly be used by vendors, and categorize the vending spaces according to sub-clause (3) below.

Explanation-1 While identifying a public space as suitable for use as vending space, the Commissioner shall consider the factors of general public interest viz., smooth movement of traffic, safety of buyers, maintenance of hygiene, availability of utilities, and public convenience.

Explanation-2 Spaces in front of shops including verandahs in market may also be indentifies for restricted use during hours/days when the shops are closed.

(3) The spaces identifies under sub-clause (2) shall be categorized into three categories as follows:

(a) No-vending spaces;

(b) Restricted vending spaces, and

(c) Regular vending spaces.

(4) No vending shall be allowed in the No-vending spaces.

(5) In the restricted vending spaces, the restriction shall relate to one or more of the following:

(a) Hours of vending

(b) Weekdays of vending (or no-vending)

(c) Goods and services for vending.

(6) In the regular vending spaces, the authorized vendors may be allowed to vend throughout the working day.

(7) Vehicles of all description including two wheelers and bicycles, pet dogs and other forms of space-jammers and public nuisance shall be banned in the vending spaces.

(8) The Commissioner shall cause collection of information, ward-wise duly confirmed by the Ward Vending Committee regarding persons already involved in vending activity in the wards. These persons shall be granted vending rights over spaces identified according to sub-clause (2) and categorized under sub-clause (3), subect to their providing an under taking as required in clause 11 of these bye-laws.

(9) On the basis of the information gathered, and the guiding principles spelt out in sub-cluse (14) below, the Commissioner shall first strive for in situ organization of the vendors already in business when these bye-laws come into force.

(10) For such vendors who may be displaced because of organization of the business in terms of sub-clause (9) above, the Commissioner shall give preference to settle them in alternate vending spaces.

(11) After all the vendors who were in business before these bye-laws come into force are settled, if surplus vending spaces remain then the Commissioner shall invite applications for grant of vending rights over these surplus spaces. For this, he shall cause public announcement in all appropriate places in the Corporation area and issue advertisement in a local newspaper and cause mobilization and collection of applications on the prescribed form for grant of vending rights from suitable candidates.

(12) On the basis of applications thus collected, the Commissioner shall cause preparation of a list of provisional allotment of vending rights.

(13) Applicants provisionally selected as per sub-clause (12) above shall be required to furnish an Undertaking as required in Clause 11 of these bye-laws.

(14) While assigning vending rights in the Regular and Restricted Vending spaces, the Commissioner may formulate norms based on the following factors and guiding principles:

(a) Competition and economic viability.

(b) The benefit should extend to as many vendors as may be accommodated.

(c) The long-time vendors who have been vending at the spot or elsewhere to be settled first in terms of sub-clause (8) above.

(d) No vendor shall be granted morethan one vending right.

(e) An agency or cartel or chain-leader or middleman by whatever name operating shall not be allowed any role in the process for grant of vending rights.

(f) Due share to be given to women, and other special categories as may be determined by the Town Vending Commmittee.

(g) The need and requirements of local citizens shall be duly considered.

(h) The recommendation of the ward and area sabhas to be given due weightage.

(15) If the demand for vending rights exceeds the space available, the Commissioner may, with good application of mind regarding economic viability, consider granting vending rights by turn for different hours of the day or days of the week to accommodate maximum applicants.

Provided, however, that in no case shall the Commissioner resort to public auction of vending rights whith a view to optimize revenue.

(16) The vending right shall be granted in the form of an identity-cum-registration card, to be called the Vending Rights Card, with the vendor's photo affixed thereon, and his name and basis personal information. The vendor shall be required to carry the Vending Rights card with time at all times, to be produced before authorities if and when demanded for inspection.

Explanation :- Failure to produce the Vending Rights Card when demanded, whether due to loss of the card or otherwise, shall constitute an offence that shall attract fine as may be fixed by the Town Vending Committee.

(17) The vending right granted under sub-clause (16) above shall be non-transferable.

(18) The vending rights shall be granted for one year, and, normally shall be renewed thereafter in a vendor-friendly manner, subject to the vendor paying his dues in time and in full and subject to his accepting to pay the royalty and rent at revised rates whenever applicable.

Provided, however, that if the area and/or the ward sabha submits a complaint in writing to the Commissioner which on expeditious verification is found correct, the vending right card granted to any vendor shall be liable for cancellation without compensation.

11. **Undertaking Mandatory for Grant of Vending Rights Card.—**

(1) Every applicant identified for grant of vending rights card, whether under sub-clause (8) or under sub-clause (10) of Clause 10, shall be required to furnish an undertaking on Non-judicial Stamp Paper of appropriate value, according to the prescribed manner, on the format given in Appendix-A attached to and forming part of these Bye-laws.

(2) The contents of undertaking shall include the following :—

(i) Information regarding the applicant's name, age, address, telephone number residence and livelihood status in the corporation area.

(ii) The applicant's confirmation regarding the extent and nature of right being granted.

(iii) The applicant's commitment regarding financial liabilities towards the Corporation, relating to vending rights.

(iv) The applicant's commitment towards sanitation and public health.

(3) Failure to submit the undertaking and/or refusal to do so shall summarily render the preliminary selection as null and void and earnest money deposited, if any, shall be forfeited by the Corporation.

12. **Regulation of Hawking.—**

(1) Any person shall be free to hawk in the corporation area subject to the regulations contained below.

(2) There shall be no restriction to take up hawking, but the hawkers will be required to obtain and wear at all times when hawking, a photo identity card.

(3) The Commissioner shall, on recommendation of the Ward member or a Gazetted Officer, grant on cost a photo identity card for every applicant who wishes to take up hawking as a means of livelihood.

(4) The town Vending Committee may, in general public interest, prescribe, amend and alter rules from time to time to regulate hawking in the corporation area, such rules including the following at all times :

(a) The hawker may push his/her cart or bear his/her head-load for sale along any roads and/or streets in the corporation area but shall not stop to sell his/her goods and/or services along roads where hawking has been banned by the Town Vending Committee to ensure smooth flow of traffic and/or any other reason in general public interest.

Explanation: For the purposes of the above, the (Town Vending Committee) TVC shall designate roads on which hawking should be banned. The Commissioner shall cause display of notice in Hindi through a prominent signboard at both ends of such roads stating that passage is free for hawkers but sale on the road banned, and that any violation of this regulation shall summarily attract a fine of Rs................

(b) A hawker practicing vending shall be illegal.

13. **Encouragement of Illegal Vending.—**

(1) Encouragement of illegal vending directly or indirectly, shall constitute an offence in terms of the Act and shall be punishable under Section-440 accordingly.

(2) The punishment under bye-law (1) shall be without prejudice to any other penalty/fine that may be imposed under the Act and/or any other law for the time being in force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HEMANT PAHARE, Deputy Secretary.

APPENDIX-A

UNDERTAKING

[To be submitted by the Street Vendor-applicant under Section 11 of the Hawkers and Street Vendors (Registration and Regulaion) Byelaws, 2010]

In consideration of the Municipal Corporation of .... granting to me vending rights in terms of Section 10 of the Hawkers and street Vendors (Registration and Regulation) Byelaws, 2010, for regulation of markets in so far as they relate to Hawkers and Street Vendors in the Corporation Area of............................, I named below solemnly undertake and state on oath as follows:

(i) That I am residing in the Corporation area of .... for the past .... years.

or

That I am residing outside the Corporation area of .... but have been vending in the Corporation on a regular basis for the past .... years.

(ii) That I am exactly or approximately .... years of age.

(iii) That I am presently earning my livelihood as a street vendor by sale of the following goods and/or service:

or

That I am presently unemployed and wish to earn my livelihood as a street vendor by sale of the following goods and/or service:

(iv) That I do not own or run any or other business or occupation or job other than what has been described above.

(v) That I do not own any space in any part of the Corporation area of .... to run the above business as street vendor, nor do I have the capacity to purchase or to obtain on lease land and space required for the above business.

(vi) That I have been registered as a Street Vendor and granted registration Number as follows:

Name	Husband/Father's Name	Age	Registration Number

(vii) That the above right is non-transferable without the written consent of the Municipal Corporation.

(viii) That I shall preserve the Registration-cum-Identity Card issued to me with due caution ans care and produce it on demand for verification and inspection to authorized officials.

(ix) That I shall get the above Registration-cum-Identity Card renewed duly before it expires, after paying the renewal fee as may be prescribed.

(x) That I have been granted usufruct rights over the following vending space:

Location	Activity for which vending rights have been granted	Particulars of Vending Space	
		Space Identification Reference	Area in sft

(xi) That the above right is not a title to land and does not allow me the freedom to alienate it by sale or lease or gift to another person, and if found guilty of doing this I shall be laible for punishment and fine as may be fixed under law.

(xii) That I undertake to pay to the Corporation royalty and monthly fee and all other expenses as may be fixed by the Corporation from time to time. Initially I agree to the current payments :

Sl. No.	Payment Head	Amount in Rs.	Periodicity of Payment
1	Registration Charges		
2	Vending Right Royalty		
3	Vending Space Monthly Fee		

(xiii) That I shall bear in mind at all times the safety and public health and fullest satisfaction at all times of the customers I serve.

(xiv) That I agree to maintain the highest standards of cleanliness and hygiene and it shall never fall below the minimum standards and norms set by the Corporation and as may be revised by them from time to time.

(xv) That I shall dispose of the solid and liquid wastes, if any, arising out of my conduct of business only in the manner as may be prescribed by the Corporation.

(xvi) That I shall confine my operations to the space provided to me by the Corporation and if ever found to spread my activities beyond this space I understand that I shall be liable to pay fine as may be levied by the Corporation.

(xvii) That I have read and understood the object, intent and purpose of the Hawkers and Street Vendors (Registration and Regulation) Byelaws, 2010, that I have noted all requirements under these byelaws, and that I fully submit to these byelaws for full and proper compliance.

(xviii) That for the purpose of all notices and other correspondence, my residential contact details are as below, and it shall be my responsibility to intimate to the Commissioner in writing and obtain his acknowledgement for such intimation any change in the address :

Name :

Husband/Father's Name :

Address :

Telephone Number (if any) :

Signed by me in my own hand and delivered to the Corporation on .... day of .... 20 .... at .... in the presence of the withnesses named below.

Signature and Full Name

Witnesses

1 2

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.